संख्या- 1527/78-2-2013-53आई.टी./2012

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र गुप्ता
विशेष सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
राजस्व/ पंचायतीराज/ विकलांग कल्याण/ समाज कल्याण/ महिला एवं बाल विकास/ श्रम/ खाद्य एवं रसद/ नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त ज़िलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2807
CDO
DM 23/02/13
ADM (E)
CDO 25/2/13
D.I.O
ADM (E) 27-2-13

रिसीट सं. 1272
दिनांक 26-2-13

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 20 फरवरी, 2013

विषयः जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु यूज़र चार्जेज़ के निर्धारण तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को शासकीय सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत तीन सर्विस सेन्टर एजेन्सीज़ (एस.सी.ए.) मै. एस.आर.ई.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स लि., मै. सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि. एवं मै. वयम टैक्नोलोजीज़ लि. का चयन कर उनके माध्यम से राज्य के ग्रामीण अंचलों में जन सेवा केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। लोकवाणी केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन का कार्य प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी के अधीन किया जा रहा है। जन सुविधा केन्द्र 6 पायलेट ई-डिस्ट्रिक्ट्स गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में स्थापित हैं तथा वह स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी के अधीन संचालित हैं।

२. राज्य में जन सेवा केन्द्र योजना के अन्तर्गत चयनित एस.सी.ए. के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की ई-गवर्नेन्स सेवाओं (शासकीय सेवाओं) के लिये यूज़र चार्जेज़ के रूप में राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर अन्य शासकीय सेवाओं हेतु नागरिकों/ग्रामीणों से प्रत्येक सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के लिये रू.१०.०० की राशि लिया जाना है। उक्त राशि का सम्पूर्ण अंश सर्विस सेन्टर एजेन्सी/केन्द्र संचालक के लिये प्राविधानित है। खतौनी सेवा के लिये प्रति ट्रान्ज़ेक्शन यूज़र चार्ज रू.२५.०० निर्धारित किया गया है जिसमें से सर्विस सेन्टर एजेन्सी/केन्द्र संचालक को रू.१५.०० एवं राजस्व विभाग/राज्य सरकार को रू. १०.०० की राशि प्राविधानित है।

३. लोकवाणी केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से शासकीय सेवाओं हेतु लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ का निर्धारण प्रत्येक जनपद में डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी द्वारा किया गया है जिसके आधार पर इन केन्द्रों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

४. वर्तमान में उपरोक्त डिलीवरी चैनल्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूज़र चार्जेज़ में से सर्विस सेन्टर एजेन्सी/केन्द्र संचालक एवं खतौनी सेवा के लिये सर्विस सेन्टर एजेन्सी/केन्द्र संचालक तथा राजस्व विभाग/राज्य सरकार के अंश का प्राविधान है।

५. ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत राज्य एवं प्रत्येक जनपद स्तर पर स्थापित की गई अवस्थापना सुविधाओं यथा राज्य स्तर पर स्वान, स्टेट डाटा सेन्टर, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे, स्टेट पोर्टल इत्यादि एवं जनपदों में विभागों के स्तर पर स्थापित कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स, यू.पी.एस., नेटवर्क कनेक्टिविटी इत्यादि के अनुरक्षण/रखरखाव तथा विभागों में दिन-प्रतिदिन सेवा सम्बन्धी प्राप्त हो रहे आवेदनों की प्रिन्टिंग पर हो रहे व्यय की पूर्ति के लिये आम नागरिकों से शासकीय सेवाओं हेतु लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ में एक रूपता लाने हेतु शासन द्वारा उसको पुनर्निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें अब सर्विस सेन्टर एजेन्सी/केन्द्र संचालक एवं डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी के अतिरिक्त सभी सम्बन्धित विभागों एवं सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.) के अंश का भी समावेश किया गया है।

६. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय शासकीय सेवाओं हेतु आम नागरिकों से लिये जाने वाले यूज़र चार्जेज़ तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं:-

(i) जन सेवा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के लिये निम्नानुसार यूज़र चार्ज लिया जायेगा जिसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स का अंश निम्नवत् होगा:-

क्र. स.	सेवा	यूज़र चार्ज का अंश (रू.)				कुल यूज़र चार्ज (रू.)
		एस.सी.ए./ केन्द्र संचालक	सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी. एस. /लोकवाणी सोसाइटी	सी.ई. जी.	
१	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	१०	५	३	२	२०
२	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	१५	१०	३	२	३०

(ii) प्रत्येक स्टेकहोल्डर यथा सी.ई.जी., तीनों एस.सी.ए., समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सेवा सम्बन्धी विभागाध्यक्षों के स्तर पर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में अपना एक बैंक खाता खोला जायेगा तथा उनका विवरण राज्य समन्वयक, सी.ई.जी. को पत्र एवं ई-मेल (cegiko.up@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) प्रत्येक विभाग अपने अंश की राशि में से अपने अधीन ईकाइयों/जनपदीय कार्यालयों के अंश को ट्रान्सफर करने हेतु इन ईकाइयों/कार्यालयों का भी बैंक खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में खुलवाकर अपने स्तर से नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

क्रमशः....२

(iv) एन.आई.सी. द्वारा प्रतिदिन विभागीय सेवाओं के हुये ट्रान्ज़ेक्शन्स की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स समस्त सम्बन्धित विभागों, समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी, सी.ई.जी. एवं तीनों एस.सी.ए. को पोर्टल पर लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स प्रदान कर उपलब्ध करायी जायेगी

(v) उपरोक्त बिन्दु सं.-६(i) के अन्तर्गत प्रत्येक सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के अंश के अनुसार प्रत्येक एस.सी.ए. द्वारा अपने बैंक खातों से समस्त सम्बन्धित विभागों, समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के कुल आगणित अंश को एस.सी.ए. द्वारा एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर अगले कार्य दिवस को सी.ई.जी. के खाते में ट्रान्सफर किया जायेगा।

(vi) सी.ई.जी. द्वारा एन.आई.सी. की उपरोक्तानुसार एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर प्रत्येक माह में एक बार सी.ई.जी. के खाते में जमा हुई धनराशि में से उपरोक्त बिन्दु सं.-६(i) की तालिका में प्रत्येक सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के लिये दर्शाये गये अंश के अनुसार समस्त जनपदों की डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सेवा सम्बन्धी विभागों को उनको देय अंश राशि को अपने कार्यालय से नेट बैंकिंग का उपयोग कर उनके बैंक खातों में ट्रान्सफर किया जायेगा।

(vii) उपरोक्तानुसार फण्ड ट्रान्सफर में यदि बैंक द्वारा कोई चार्ज लिया जाता है तो वह सभी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स द्वारा अपने खाते में जमा हो रही धनराशि से वहन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त फण्ड ट्रान्सफर में यदि सेवाकर इत्यादि लागू होगा तो उसकी कटौती भी सम्बन्धित स्टेकहोल्डर के खाते में ट्रान्सफर की जा रही धनराशि से की जायेगी।

(viii) प्रत्येक स्टेकहोल्डर द्वारा एन.आई.सी. की एम.आई.एस. रिपोर्ट्स के आधार पर प्रत्येक माह में अपने खाते में प्राप्त हो रही धनराशि का बैंक रिकन्सीलिएशन किया जायेगा।

(ix) एस.सी.ए. द्वारा अपने से सम्बन्धित जन सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक दिन प्राप्त हो रही यूज़र चार्जेज़ की धनराशि के पाँच गुना बराबर की धनराशि अथवा कोई अन्य राशि जो समय समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जाये, सी.ई.जी. के पास सेक्योरिटी डिपोजिट के रूप में रखनी होगी।

(x) बिन्दु सं.-६(i) की तालिका में प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के लिये दर्शाये गये यूज़र चार्जेज़ एवं उनका समस्त सम्बन्धित विभागों, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी एवं सी.ई.जी. के मध्य अंश विभाजन प्रत्येक जनपद के लोकवाणी केन्द्रों एवं पायलेट ई-डिस्ट्रिक्ट्स के जन सुविधा केन्द्रों से प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं पर भी लागू होगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/ लोकवाणी सोसाइटी द्वारा प्रत्येक माह अपने जनपद से सम्बन्धित लोकवाणी केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों (केवल पायलेट ई-डिस्ट्रिक्ट्स के लिये) पर ट्रान्ज़ेक्शन्स के विरूद्ध जमा हो रही धनराशि में से समस्त सम्बन्धित विभागों, सी.ई.जी. एवं स्वयं के अंश को प्राप्त किया जायेगा तथा अपने अंश को रोकते हुये प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सी.ई.जी. एवं सेवा सम्बन्धी विभागाध्यक्षों के पूर्व के माह के कुल आगणित अंश को सम्पूर्ण ट्रान्ज़ेक्शन्स का विवरण प्रेषित करते हुये उनके खातों में ट्रान्सफर किया जायेगा।

क्रमशः....३

जनपद के लोकवाणी केन्द्रों एवं जन सुविधा केन्द्रों पर जमा हो रही धनराशि को डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी/लोकवाणी सोसाइटी के खाते में प्राप्त करने तथा उसमें से समस्त सम्बन्धित विभागों एवं सी.ई.जी. के अंश को उनके खातों में ट्रान्सफर करने के मॉडल/प्रक्रिया का निर्धारण जनपद द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) बिन्दु सं.-६(i) की तालिका के क्रमांक-१ के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्ज़ेक्शन के लिये दर्शाये गये यूज़र चार्जेज़ भविष्य में विभागों की सम्मिलित की जाने वाली नयी सेवाओं पर भी लागू होंगे।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों से ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु उपरोक्तानुसार यूज़र चार्जेज़ के निर्धारण तथा उसके विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के मध्य अंश विभाजन एवं वितरण की नयी व्यवस्था दिनांक ०१ अप्रैल २०१३ से प्रभावी होगी। इस सम्बन्ध में सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा दिनांक १० मार्च २०१३ तक समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुये इसकी लिखित सूचना राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स को भी पत्र एवं ई-मेल (ceglko.up@gmail.com) के माध्यम से अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्याः (१)/७८-२-२०१३ तद्दिनाँक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग लखनऊ को इस आशय के साथ कि वह अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दु सं.-६(ii) के अनुसार विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के बैंक खातों का विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. उप महानिदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय के साथ कि वह उपरोक्त बिन्दु सं.-६(iv) के अनुसार कार्यवाही करते हुये प्रत्येक सम्बन्धित को पोर्टल पर लॉग-इन क्रेडेन्शियल्स प्रदान कर एम.आई.एस. रिपोर्ट्स उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. सहायक महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि वह अपने स्तर से उपरोक्त बिन्दु सं.-६(v) के क्रम में सी.ई.जी. के बैंक खाते में फण्ड ट्रान्सफर हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. मै. एस.आर.ई.आई. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेन्स लि., मै. सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि. एवं मै. बयम टैक्नोलोजीज़ लि. को इस आशय से कि वह एन.आई.सी. एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जवाहर भवन, लखनऊ से समन्वय कर बिन्दु सं.-६(v) के अनुसार सी.ई.जी. के बैंक खाते में फण्ड ट्रान्सफर की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव